न्यायालय, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.)
पीठासीन अधिकारीः– श्रीमती अंजू कुमारी, *R.J.S.*
नियमित आपराधिक प्रकरण संख्याः– 44/2015 (CIS No.:– 13/2015)
CNR No.:– RJJW110000102015

राजस्थान राज्य .....**अभियोगी**

ब ना म

हेमराज आत्मज प्रभुलाल, उम्र 48 वर्ष, निवासी– कुन्जेड, पुलिस थाना खानपुर, जिला झालावाड (राज.)

.....**अभियुक्त**

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 470/2014 पुलिस थाना खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.)
अपराध अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

उपस्थितः–

1. राज्य की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी।
2. श्री संजय गौतम, श्री प्रवीण पोसवाल, विद्वान अधिवक्तागण, अभियुक्त की ओर से।

निर्णय **दिनांकः– 11.03.2026**

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में फर्द चैकिंग एवं जप्ती प्रदर्श पी–1 के अनुसार इस प्रकार हैं कि दिनांक 07–12–2014 को गोपाललाल ए.एस.आई. मय हमराही जाप्ता श्री सीताराम कानि.127, श्री गौतमचन्द कानि. 1053 एवं मय अनुसंधान बॉक्स जीप प्राईवेट से थाना खानपुर से समय 08.30 ए.एम. पर वास्ते गश्त कस्बा खानपुर व अवैध कार्य की रोकथाम एवं चैकिंग अवैध हथियार करोबार व नाकाबंदी हेतु थाना से रवाना हो कस्बा खानपुर बस स्टेण्ड होता हुआ गश्त कस्बा करता हुआ अस्पताल सरकारी चांदखेडी मोहल्ला व चांदखेडी मंदिर पहुंचा तथा गश्त की एवं चांदखेडी मंदिर खानपुर से रवाना होकर न्यू बस स्टेण्ड अटरू तिराहा पहुंचा तथा आने जाने वाले वाहनों को चैक किया तथा अटरू तिराहा से समय 01.00 पी.एम. पर रवाना हो गश्त करता हुआ कृषि उपजमंडी खानपुर की गश्त करता हुआ बांरा रोड काली तलाई मंदिर के सामने मेन रोड पर खडा हो हमराही जप्ता की मदद से आने–जाने वाले वाहनों को रोककर कागजात चैक किया कि समय 02.00 पी.एम. पर गोपाल लाल एएसआई थाना खानपुर को जर्ये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि आम रोड मेघा हाईवे आर के ईट भट्टा उद्योग व खलखली माताजी मंदिर के बीच पुलिया के पास खानपुर में एक व्यक्ति जिसने धोती कमीज पहन रखी है। जो अवेध हथियारों के करोबार में लिप्त है। तथा हथियार खरीद फरोखत करता है। जिसे शीघ्र चैक किया जाता है तो उसके पास कोई भी अवैध हथियार मिल सकता है। इत्यादि मुखबिर की सूचना से एएसआई ने हमराही जाप्ता को अवगत कराया तथा सूचना के मुताबिक काली तलाई खानपुर से रवाना हो समय 02.10 पी.एम. पर सांकेतिक स्थान पर पहुंचा तो पुलिया के पास एक व्यक्ति बैठा हुआ नजर आया जो पुलिस जाप्ते को बावर्दी देखकर उठकर जाने लगा। इस पर शीघ्र ही एएसआई व हमराही जाप्ता ने उस व्यक्ति को रोका जो काफी घबराहट में है। जिससे घबराहट का कारण पूछा तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। जिसका नाम पूछा तो अपना नाम हेमराज पुत्र प्रभुलाल, उम्र 36 साल निवासी कुन्जेड, थाना खानपुर जिला झालावाड का होना बताया। जिसके पास अवैध वस्तु होने का पूरा–पूर संदेह होने पर हेमराज की तलाशी लेना आवश्यक होने पर तलाशी हेतु स्वतंत्र गवाह की तलबी हेतु

गौतमचनद कानि. 1053 को भेजा जिसने कुछ समय पश्चात वापस आकर जाहिर किया कि कोई भी व्यक्ति समय अभाव व पुलिस कार्यवाही में नहीं पडने के कारण स्वतंत्र गवाह नहीं मिले। जिस पर एएसआई ने हमराही जाप्ता में से गौतमचन्द कानि. व सीताराम कानि. को तलाशी के गवाह बनने हेतु कहा तो दोनों गवाह बनने को तैयार होने पर गवाह मामूर कर स्वयं की तलाशी ली कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली तत्पश्चात एएसआई ने गवाहान के समक्ष हेमराज की तलाशी ली तो पहनी हुई कमीज तथा धोती के बीच कमर में एक कुडसी हुई पिस्टल देशी 7.65 एम.एम. की मिली। पिस्टल के मामले में हेमराज से अनुज्ञा पत्र चाहा तो नहीं होना बताया। इस प्रकार इसके द्वारा बिना लाईसेंस के अवैध पिस्टल अपने कब्जे में रखना अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध होने से मौके पर ही मुलजिम हेमराज के कब्जे से बरामद एक पिस्टल को बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जे पुलिस लिया गया तथा मुलजिम हेमराज को जर्ये फर्द पृथक से मौके पर ही गिरफ्तार कर हिरासत पुलिस लिया गया.....इत्यादि, पर पुलिस थाना खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.) में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 470/2014 अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में पंजीबद्ध की जाकर बाद तफ्तीश मुलजिम हेमराज के विरूद्ध धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया, जिस पर बाद अवलोकन अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धारा में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त हेमराज को अपराध अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का आरोप पृथक से लिखित रूप में विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोपित अपराध को सुन व समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

3. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.ड.01 गोपाल लाल, पी.ड.02 पूनमचन्द, पी.ड.03 गौतमचन्द, पी.ड.04 यशवन्त सिंह, पी.ड.05 घनश्याम, पी.ड.06 मोहनलाल व पी.ड.07 सीताराम के बयान लेखबद्ध कराये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में फर्द चैकिंग एवं जप्ती एक पिस्टल प्रदर्श पी–1, फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी मुलजिम हेमराज प्रदर्श पी–2, फर्द नक्शा मौका व निरीक्षण घटनास्थल प्रदर्श पी–3, चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी–4, असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी–5, मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–5ए, रोजनामचा रपट संख्या 373 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–6, मैकेनिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी–7 व कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़ द्वारा जारी अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श पी–8 को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया है।

4. अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात अभियुक्त हेमराज का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को गलत होने का अभिवाक् कर गवाहान द्वारा झूंठ बोलने और स्वयं का निर्दोष होकर झूंठा फंसाने का कथन किया। अभियुक्त द्वारा साक्ष्य सफाई प्रस्तुत नहीं करना चाहा, जिस पर साक्ष्य सफाई का अवसर बंद किया गया।

5. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों से अभियुक्त के विरूद्ध

आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्त हेमराज को दोषसिद्ध घोषित किया जाकर दण्डादिष्ट किया जावे।

6. दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा कि साक्ष्य अभियोजन से यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्त के चेतन्य कब्जे से एक पिस्टल बरामद हुई हो। घटनास्थल पर कोई स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं था। अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहान की साक्ष्य में विरोधाभास है। पत्रावली में केवल पुलिस वाले ही गवाह हैं। पुलिस ने सारी कार्यवाही थाने पर बैठकर की है, जो झूंठी है। अतः अभियुक्त हेमराज को आरोपित अपराध से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जावे।

7. बहस उभय पक्षकारान सुनी। तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदू यह है किः–

(1) **" क्या दिनांक 07–12–2014 को समय 02.15 पी.एम. पर मौजा आम रोड मेगा हाईवे, आर.के. ईट भट्टा उद्योग व खलखली माताजी के बीच पुलिया के पास, खानपुर में श्री गोपाल लाल, ए.एस.आई., पुलिस थाना खानपुर ने मय जाप्ते के दौराने गश्त अभियुक्त हेमराज के चेतन्य आधिपत्य से एक अवैध देशी पिस्टल 7.65 एमएम बरामद की, जिसे अपने कब्जे में रखने का अभियुक्त के पास कोई वैध अनुज्ञा पत्र/लाईसेंस नहीं था ? "**

(2) **यदि हां, तो अभियुक्त किस दण्ड से दण्डनीय है ?**

8. अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को साबित करने हेतु अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 07 गवाहों को परीक्षित कराया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य का समग्र विवेचन किया जाये तो अभियोजन पक्ष द्वारा पेश महत्वपूर्ण गवाह पी.ड.01 गोपाल लाल, जो प्रकरण में जप्तीकर्ता होकर शिकायतकर्ता भी है, ने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 07–12–2014 को वह पुलिस थाना खानपुर में एएसआई के पद पर कार्यरत था। उस दिन समय 08.30 ए.एम. पर वह सीताराम कानि. 127 गौतमचन्द कानि. 1053 मय अनुसंधान बॉक्स मय प्राईवेट जीप से थाना खानपुर से अवैध कार्यों की चैकिंग एवं रोकथाम हेतु कस्बा खानपुर बस स्टेण्ड होता हुआ सरकारी अस्पताल चांदखेडी मंदिर पहुंचा। वापस रवाना होकर न्यू बस स्टेण्ड अटरू तिराहे पर पहुंचा। आने जाने वाले वाहनों को चैक किया तथा अटरू तिराहा से समय 01.00 पी.एम. पर गश्त करता हुआ बारां रोड काली तलाई हनुमान जी के मंदिर के सामने आम रोड खडा होकर हमराही जाप्ते की मदद से आने जाने वाले वाहनों को रोककर कागजात चैक किये। समय 02.00 पी.एम. पर उसे जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई की खलबली माता व आर के ईट भट्टा के बीच पुलिया पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके पास कोई अवैध वस्तु या हथियार हो सकता है। मुखबिर की सूचना पर काली तलाई से रवाना होकर सांकेतिक स्थान पर पहुंचे जहां पर एक व्यक्ति धोती कमीज पहने हुये पुलिया पर मिला जो पुलिस जाप्ते को व जीप को देखकर भागने लगा जीप से उतर कर उसने जाप्ते की मदद से रोका और नाम पता पूछा तो अपना नाम हेमराज पुत्र प्रभुलाल निवासी कुन्जेड का होना बताया। जिससे पुलिस जाप्ते को देखकर भागने का कारण पूछा तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। संदिग्ध होने पर उसने उसकी तलाशी लेना उचित

समझा। तलाशी हेतु स्वतंत्र गवाह हेतु हमराही कानि. को भिजवाया पर कोई स्वतंत्र गवाह नहीं मिलने के कारण जाप्ता हमराही गौतमचन्द व सीताराम को गवाह मामूर कर ए.एस.आई ने स्वयं की तलाशी ली कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिलने के कारण उसने हेमराज की तलाशी ली तो कमीज की नीचे और धोती के नीचे एक पिस्टल देशी व कारतूस मिला। हेमराज से पिस्टल का लाईसेंस चाहा तो नहीं होना बताया। हेमराज का कृत्य धारा 3/25 Arms act के तहत दण्डनीय होने पर मौके पर ही पिस्टल व कारतूस को जरिये फर्द जब्त कर सिल्ड मोहर किया एवं मुलजिम को पृथक से जरिये फर्द गिरफतार किया। बाद कार्यवाही मोके से रवाना होकर थाना खानपुर पहुंचे। मुलजिम को बंद हवालात करवाया। जमा मालखाना करवाया और मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। जो हथियार जब्त किया था उसकी लंबाई लगभग 6 इंच थी, उसे ठीक से याद नहीं है। बट की लंबाई 2 इंच थी। मेगजिन लगी हुई थी रंग काला था। फर्द चैंकिंग एवं जप्ती प्रदर्श पी–1 है जिस पर ए से बी दो स्थान पर उसके हस्ताक्षर है और सी से डी मुलजिम हेमराज के हस्ताक्षर है। फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी–2 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है और सी से डी मुलजिम हेमराज के हस्ताक्षर है। अनुसंधान अधिकारी पूनमचन्द जी ने उसकी निशादेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका तैयार किया था। नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी–3 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

9. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया कि मुखबिर से उसे सूचना मिली थी। थाने से रवानगी सवेरे 08.00–08.30 बजे की थी। घटनास्थल पर लगभग 03.00–03.30 बजे पहुंचे थे। थाने से घटनास्थल 2 किलोमीटर दूरी पर है। यह कहना गलत है कि जब मुखबिर से सूचना मिली हो तब वह थाने पर हो। मुखबिर से सूचना लगभग 2 बजे आयी थी। साथ में गौतमचन्द और सीताराम थे। प्राइवेट वाहन थे जिसके न. उसे याद नहीं थे। महेन्द्र की जीप थी। गाडी किसकी थी वह नहीं बता सकता, गाडी कौन चला रहा था, उसे नाम याद नहीं है। गाडी खानपुर की थी। यह घटना मेघा हाईवे खलबली माताजी के पास पुलिया की है। मुलजिम रोड के पश्चिम साईड में मिला था। नक्शा मौका उसके सामने बनाया था। नक्शा मौका बनाते समय गौतमचन्द और सीताराम और आई ओ था। नक्शा मौका घटना के दूसरे दिन बनाया था। तारीख और समय उसे याद नहीं है। यह कहना सही है कि घटनास्थल हाईवे रोड पर है। आस पडोस में खेत है और काफी गाडी घोडे और व्हीकल निकलते रहते है। घटनास्थल आरके ईंट के भट्टे से 50 मीटर की दूरी पर है। ठीक दूरी वह नहीं बता सकता। उसने स्वतंत्र गवाह लाने के लिये गौतमचंद को भेजा था। गौतमचन्द ने दस मिनट बाद में आकर बताया था कि कोई स्वतंत्र गवाह नहीं मिला। किस–किस व्यक्ति को उसने स्वतंत्र गवाह बनाने के लिये उसने नहीं पूछा और उसने नहीं बताया। यह कहना सही है कि जो पिस्टल थी वह काले रंग की थी। पिस्टल पर काला कलर था। पिस्टल लोहे की बनी हुई थी और काले रंग की थी और बट्ट लोहे का था लकडी नहीं लगी हुई थी फिर कहा कि प्लास्टिक का बट्ट लगा हुआ था। उसने पिस्टल को चलाकर नहीं देखा कि जब्तशुदा पिस्टल चालू हालात में थी या नहीं। यह वे अनुभव से पता करते है कि पिस्टल चालू हालत में थी या नहीं थी। बैरल की लम्बाई उसने नापी थी और किसी अन्य से नहीं नपवाई। उसने मैगजीन की लंबाई नहीं नापी मेगजीन पिस्टल में लगी हुई थी। पिस्टल में आगे नाल पर एक ही जगह छेद था। उसने पिस्टल पर ए मार्क किया था। जब उन्होंने पिस्टल

बरामद की थी वह खुली रखी हुई थी थैली में नहीं थी। वे वापसी थाना किस समय पहुंचे पता नहीं है पर शाम पड गयी। थाने पहुचने तक मुलजिम उनके साथ ही था।

10. गवाह पी.ड 03 गौतमचन्द, जो प्रकरण में फर्द जप्ती प्रदर्श पी–1 का गवाह होकर प्रकरण में चश्मदीद साक्षी भी है, ने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 07–12–2014 को वह थाना खानपुर पर कानि. के पद पर कार्यरत था। उस दिन गोपाललाल ए.एस.आई. के साथ मय जाप्ता मय अनुसंधान बॉक्स मय प्राइवेट जीप से थाने से 08.30 ए.एम. वास्ते गश्त कस्बा खानपुर व अवैध कार्यों की रोकथाम हेतु गश्त कस्बा बस स्टेण्ड, अस्पताल, चांदखेडी मोहल्ला करते हुये चांदखेडी मंदिर पहुंचे वहां से रवाना होकर अटरू चौराहे पर आने–जाने वाले वाहनों को चैक किया तो वहां से कृषि उपजमंडी गश्त करते हुये काली तलाई के वहां पर वाहनों को चैक कर रहे थे तभी करीब 02.00 पी.एम. पर जरिये मुखबिर एएसआई साहब को सूचना मिली कि आर.के. ईट्ट भट्टे व खलखली के माताजी के मंदिर बीच पुलिया के पास एक व्यक्ति है, जिसने धोती कुर्ता पहन रखा है, जो अवैध हथियारों के कारोबार में लिप्त है। हथियारों की खरीद फरोख्त करता है। जिसके पास कोई अवैध हथियार हो सकता है, उक्त सूचना पर रवाना होकर मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचे तो मुखबिर के बताये हुये हुलिया का व्यक्ति पुलिस को बावर्दी देखकर उठकर जाने लगा जिसको जाब्ता की मदद से रोका तो घबराया, घबराने का कारण पूछा तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जिसका ए.एस.आई. साहब ने नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम हेमराज पुत्र प्रभुलाल होना बताया। जिस पर संदेह होने पर उसकी तलाशी हेतु स्वतंत्र गवाह तलाश करने हेतु ए.एस.आई. साहब ने उसे भेजा, वह आस–पास आने–जाने व्यक्तियों को स्वतंत्र गवाह बनने के लिये कहा लेकिन कोई गवाह बनने के लिये तैयार नहीं हुआ, इस पर एएसआई साहब ने उसे व सीताराम को स्वतंत्र गवाह मामूर कर पकडे गये व्यक्ति की तलाशी ली तो उसकी धोती की आंट में एक देसी पिस्टल 7.65 एम.एम. मिली, जिसे अपने कब्जे में पिस्टल रखने बाबत अनुज्ञा पत्र चाहा तो नहीं होना बताया, जिसका कार्य धारा 3/25 Arms Act में दण्डनीय अपराध होने से उसके पास मिली पिस्टल को वजह सबूत मौके पर ही जब्त किया व एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील्ड मोहर किया व मार्क ए दिया, फर्द चैकिंग जब्ती प्रदर्श पी–1 है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना सील अंकित है। मुलजिम को मौके पर ही जरिये फर्द गिरफतार किया गया। फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी–2 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। घटना का मौका मुआयना उसके सामने बनाया गया था। घटना का नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। प्रकरण में जब्तशुदा माल थाने के मालखाने से लालाराम कानि. 1176 ने न्यायालय में पेश किया। जो एक सफेद कपडे की थैली में चार जगर सील्ड मोहर लगी हुई है। जिस पर एक सफेद कागज की चिट चस्पा है। जिस पर लाल स्याही से मु.न. 477/2014 धारा 3/25 Arms Act मार्क–ए अंकित है। जो प्रदर्श पी–7 है। जिस पर ए से बी उसके व सी से डी मुलजिम के व ई से एफ गोपाललाल जी एएसआई व जी से एच सीताराम कानि. के हस्ताक्षर है। दो जगह नमूना सील अंकित है। उक्त पैकेट को न्यायालय की इजाजत से खोला गया, जिसमें एक देशी पिस्टल काले कलर की निकली, जिस पर दोनों तरफ बट पर प्लास्टिक की गिरिप लगी हुई है व दोनों साईड दो स्क्रू लगे हुये है और नीचे एक कडी लगी हुई है। बैरल की नोक पर एक होल बना हुआ है, बैरेल के पिछले हिस्से पर सात धारी है। जो गवाह को

दिखायी गयी, जिसको पहचान कर गवाह ने कहा कि यह वही है जो मुलजिम हेमराज के कब्जे से उसके सामने जब्त की थी। जो आर्टिकल–1 है।

11. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया कि दिनांक 07–12–2014 को वे सुबह 08.30 बजे प्राइवेट जीप से रवाना हुये थे। जीप किसकी थी, कौन से कलर की थी, उसे याद नहीं है। सन 2014 में फव्वारा चौराहा तो था लेकिन वहां फुव्वारा लगा हुआ था या नहीं उसे याद नहीं है। वे फव्वारा चौराहे पर नहीं रूके। उसके बाद गश्त करते हुये चांदखेडी मंदिर पहुंचे थे। नया बस स्टेण्ड जो कि कृषि उपजमंडी के पास में है। वे थाना खानपुर से रवाना होकर लगातार गश्त करते हुये चल रहे थे। खानपुर थाने से नया बस स्टेण्ड 3–4 किलोमीटर है। काली तलाई हनुमान जी के यहां वाहनों की चैकिंग कर रहे थे, वहां पर एएसआई साहब को जरिये मुखबिर सूचना मिली कि खलखली माताजी के पास आर के ईट भट्टा जहां एक व्यक्ति धोती कुर्ता पहनकर बैठा हुआ है। जिसके पास हथियार हो सकते है। वे काली तलाई से 02.00 बजे रवाना हुये थे। मौके पर जब वे पहुंचे तो व्यक्ति पुलिस जाब्ते को देखकर रवाना हो गया था, उसकी तलाशी एएसआई साहब द्वारा ली गयी थी, तलाशी ली उस समय वह वहीं खडा हुआ था। तो उसके पास धोती के अंट में दाहीने साईड में पिस्टल रखी हुई थी। उसने पिस्टल हाथ में लेकर नहीं देखी। नाम पिस्टल पर कुछ नहीं लिख रखा था। पिस्टर पर बोल्ट लगे हुये नहीं थे, उस पर स्क्रू लगे हुये थे। घटनास्थल पर आवागमन रहता है। स्वतंत्र गवाह बनने के लिये उसने आने–जाने वाले वाहन चालकों से पूछा था, लेकिन वो न तो गवाह बने और न ही उन्होंने अपना नाम पता बताया। यह बात सही है कि एएसआई साहब ने उसकी व सीताराम की तलाशी नहीं ली थी। एएसआई साहब की तलाशी उन्होंने ली थी। पिस्टल उसने चलाकर नहीं देखी थी। पिस्टल पर कोई नंबर अंकित नहीं थे। बैरल लोहे का बना हुआ था। यह कहना गलत है कि सारी कार्यवाही उन्होंने थाने पर की हो और हस्ताक्षर भी थाने पर ही किये हो। पिस्टल को जब्त कर सिल्ड मोहर एएसआई साहब ने किया था। सिल्ड मोहर कर उस पर जो चिट चस्पा की थी, उस पर उसने हस्ताक्षर किये थे।

12. गवाह पी.ड.07 सीताराम, जो प्रकरण में फर्द जप्ती प्रदर्श पी–1 का गवाह होकर प्रकरण में चश्मदीद साक्षी भी है, ने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 07–12–2014 को वह पुलिस थाना खानपुर में कानि नं 127 के पद पर तैनात था। उस दिन गोपाललाल एएसआई के साथ मय जाबता वह व श्री गौतमचंद कानि. 1053 मय प्राइवेट वाहन के थाने से समय 08.30 ए एम पर वास्ते गश्त एवं अवैध कार्यों की चैकिंग हेतु रवाना होकर गश्त करते हुए कस्बा खानपुर में बस स्टेण्ड चांदखेड़ी मोहल्ला, चांदेखेडी मंदिर, गश्त करते हुए बस स्टेण्ड अटरू तिराहे पहुंचे जहां पर आने जाने वालों को चैक किया। वहां से रवाना होकर गश्त करते हुए काली तलाई मंदिर के पास बारां रोड़ पहुंचे जहां पर नाकाबंदी कर आने जाने वाले वाहनों को चैक कर रहे थे कि समय 02.00 पी एम करीब दौराने वाहन चैकिंग श्री गोपाललाल ए एस आई साहब को सूचना मिली कि आर के ईंट उद्योग व खलखली माताजी मंदिर के बीच पुलिया के पास एक व्यक्ति खड़ा है जिसके पास कोई हथियार या अवैध वस्तु हो सकती है। उक्त सूचना पर रवाना होकर मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचे। जहां पर पुलिया के पास एक व्यक्ति नजर आया जो पुलिस जाब्ता को बावर्दी

देखकर एकदम से वहां से उठकर जाने लगा तो ए एस आई साहब व हमराही जाब्ते द्वारा उक्त व्यक्ति को रोका जिसकी तलाशी हेतु स्वतंत्र गवाहान की तलबी के लिए ए एस आई साहब ने श्री गौतमचंद कानि 1053 को भेजा जिसने कुछ समय बाद वापस आकर बताया कि कोई गवाह बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस पर रोके गये व्यक्ति का नाम पूछा तो उसने अपना नाम हेमराज पुत्र प्रभुलाल उम्र 36 साल निवासी कुंजेड थाना खानपुर का होना बताया। जिसकी तलाशी हेतु ए एस आई साहब ने उसे कानि और गौतमचंद कानि को गवाह मामूरकर पकडे गये व्यक्ति हेमराज की तलाशी ली तो उसके पास पहनी हुई धोती व कमीज के बीच कमर पर एक पिस्तौल मिली। जिसको उक्त व्यक्ति द्वारा अपने पास रखने बाबत ए एस आइ साहब ने अनुज्ञा पत्र के बारे में पूछा तो नहीं होना बताया। जिसका कार्य धारा 3/25 Arms Act के तहत दण्डनीय अपराध होने से उसके पास मिली 7.65 एम एम देसी पिस्तौल को बतौर वजह सबूत जब्त किया गया व एक कपडे की थैली में रखकर सील मुहर कर मार्क ए दिया। मुलजिम को जर्ये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया। फर्द चैकिंग व जब्ती प्रदर्श पी–1 है जिस पर आई से जे उसके हस्ताक्षर है। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–2 है जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। घटना का मौका मुआयना उसके सामने बनाया था। फर्द नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 है जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है।

13. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया कि खानपुर थाने से रवाना होने के बाद काली तलाई पर पहुंचने में उन्हें लगभग साढे चार घण्टे लगे। काली तलाई से सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंचने में उन्हें करीब 05 मिनट का समय लगा था। काली तलाई से घटना स्थल कितने किलोमीटर है उसने नाप नहीं किया, लगभग डेढ से दो किलोमीटर है। वे काली तलाई से खलखली माताजी घटनास्थल पर वे कस्बे के बाहर बारां झालावाड़ रोड से आये थे। काली तलाई से खलखली माताजी आने के उक्त रास्ते में बीच में कितने गति अवरोधक आते हैं उसे आज याद नहीं है। उस दिन वे काली तलाई से घटनास्थल आये तब उनकी गाडी की गति क्या थी यह उसे आज याद नहीं रही। यह कहना सही है कि उक्त दोनों स्थानों के बीच में दहीखेडा चौराहे पर एक बस स्टैण्ड भी पड़ता है और दो चौराहे भी पड़ते हैं। उस दिन वाहन को कौन चला रहा था उसे याद नहीं रहा। उस दिन उनके पास कौनसा वाहन था उसे याद नहीं है। उसे उस वाहन के नंबर भी याद नहीं है। यह कहना गलत है कि उसने उसके बयानों में उस वाहन के नंबर बताये हों। खानपुर थाने में उसकी ड्यूटी इस घटना से पहले जून जुलाई 2012 से सितंबर अक्टूबर 2015 तक रही थी। सूचना श्रीगोपाल लाल ए एस आई को जर्ये मुखबिर मिली थी। मुखबिर का नाम पता उसे याद नहीं है। उसने बयानों में सूचना देने वाले किसी का नाम नहीं बताया है। घटनास्थल पर वे कितने बजे पहुंच गये थे समय उसने नोट नहीं किया था। अभियुक्त उस समय पश्चिम साइड पर था। अभियुक्त खड़ा था, उसके आस पास कोई मोटरसाईकल या बाईक हो तो उसे जानकारी नहीं है। स्वतंत्र गवाह लाने हेतु गौतमचंद कानि को भेजा था। गौतमचंद स्वतंत्र गवाह तलाश करके कितने समय बाद वापस आया था वह करीब दस पंद्रह मिनट बाद लौटकर आ गया था। अभियुक्त की तलाशी गोपाल लाल जी ए एस आई साहब ने ली थी। तलाशी लेते वक्त अभियुक्त को हमराही जाब्ता ने घेर रखा था, अभियुक्त को उसने व गौतम कानि ने पकड़ रखा था। अभियुक्त की कमीज के नीचे बांयी तरफ हथियार मिला था। उसने यह बात उसके बयानों में हथियार मुलजिम के किस साइड मिला यह बात नहीं

लिखवाई। मौके पर जब्ती वहां पहुंचने के करीब 45–50 मिनट बाद बनाई थी। उसने अवैध हथियार हाथ में नहीं लिया। हथियार को श्री गोपाललाल जी ए एस आई साहब ने हाथ में लिया था और उनके द्वारा ही जब्त किया गया था। हथियार को सील्ड चिट किया गया था। हथियार को सील्ड चिट करने में उसने ए एस आई साहब का सहयोग किया या नहीं यह सवाल उससे संबंधित नहीं है। सील्ड चिट उसके सामने ही किया था। हथियार को सील्ड चिट करते समय उस पर कितनी सील 2 या 3 लगाई गई उसे याद नहीं है। कुल कितनी सील लगाई थी यह उसे याद नहीं है। चिट पर नमूना सील 3 थी। माल को सील कर उसको मार्क ए दिया था। नक्शा मौका दिनांक 08–12–2014 को बनाया था। नक्शा मौका बनाया उस समय वहां अनुसंधान अधिकारी पूनमचंद, वह व गौतम चंद कानि थे। यह कहना गलत है कि मुलजिम हेमराज को वह पहले से जानता हो। यह उसे याद नहीं है कि इस प्रकरण से पहले भी मुलजिम हेमराज के कोई मुकदमे में वह साक्षी हो। यह कहना सही है कि मुलिजम हेमराज के विरूद्ध थाने में और भी मुकदमें दर्ज थे। कितने मुकदमें दर्ज थे यह उसे याद नहीं है। मुलजिम हेमराज की अन्य मुकदमें में उसके सामने गिरफ्तारी हुई हो तो यह वह आज नहीं बता सकता उसे याद नहीं है। वे थाने से रवाना हुए उस रवानगी की रपट अनुसंधान अधिकारी ने पत्रावली में पेश की या नहीं यह अनुसंधान अधिकारी बता सकता है।

14. गवाह पी.ड.02 पूनमचन्द, जो कि प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी है, ने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 07–12–2014 को वह थाना खानपुर पर एएसआई के पद पर तैनात था। उस दिन थानाधिकारी लोकेन्द्र पालीवाल ने मु.न. 470/14 की अनुसंधान पत्रावली वास्ते अनुसंधान हेतु उसे सुपुर्द की थी। जिसका पृष्ठांकन प्रदर्श पी–1 की पुश्त पर सी से डी है। जिस पर ई से एफ थानाधिकारी लोकेन्द्र पालीवाल के हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी–4 है जिस पर ए से बी थानाधिकारी लोकेन्द्र पालीवाल व सी से डी गोपाल एएसआई के हस्ताक्षर है। जिनको वह उनके साथ कार्य करने से पहचानता है। दौराने अनुसंधान बयान फरियादी गोपाल लाल एएसआई गवाह गौतमचन्द कानि., सीताराम कानि., घनश्याम, रमेशचन्द के बयान उनके कहेनुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये। दिनांक 08–12–2014 को घटनास्थल पर पहुंचकर फरियादी की मौजूदगी में घटना का मौका मुआयना किया। नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। जब्तशुदा हथियार का मेकेनिकल मुआयना करवाया गया। रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की। मुलजिम हेमराज के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट झालावाड से अभियोजन स्वीकृती प्राप्त कर शामिल पत्रावली की। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–5 है। रोजनामचा रपट की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–6 है जिन प्रत्येक पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। जो शामिल पत्रावली है।

15. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया कि एफआईआर गोपाललाल एएसआई ने लिखवायी थी। फरियादी गोपाललाल जी एएसआई थे। उसे अनुसंधान हेतु पत्रावली दिनांक 07–12–2014 को ही मिली थी। यह कहना सही है कि उसने फर्द जब्ती नहीं बनायी थी। यह बात सही है कि जब्तशुदा माल सील्डचिट करके जमा मालखाना कर दिया था। नक्शा मौका उसने ही बनाया था। जो दिनांक 08–12–2014 को करीब 11 बजे बनाया था। नक्शा मौका घटनास्थल बारां रोड पर आर के ईट भट्टा वाले के

सामने का बनाया था। नक्शा मौका बनाते समय दोनों गवाह सीताराम व गौतम मौजूद थे। नक्शा मौका बनाते वक्त अन्य कोई स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं था। यह बात सही है कि जब्तशुदा माल उसने नहीं देखा। अनुसंधान में उसे उस माल की आवश्यकता थी तो उसने उसे सील्डशुदा ही देखा था। उसमें क्या आइटम था वह नहीं बता सकता। जो जब्ती अधिकारी ने जब्त किया वही होगा लेकिन उसने जब्तशुदा माल को दौराने अनुसंधान उसे खोलकर नहीं देखा। जब्ती के भी सीताराम व गौतम दोनों गवाह थे। उसने मैकेनिकल मुआयना करवाया था। वह यह भी नहीं बता सकता कि वह जब्तशुदा माल के बारे में नहीं कर सकता कि वह आइटम चालू था या बंद था।

16. गवाह पी.ड.04 यशवन्त सिंह ने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वह दिनांक 12–12–2014 को पुलिस लाईन झालावाड़ में आर्मोरर के पद पर कार्यरत था। उस दिन थाना खानपुर के मुकदमा नम्बर 470/2014 धारा 3/25 Arms Act में जब्तशुदा एक देशी पिस्टल 7.65 एम एम पुलिस खानपुर की सील से सील्ड हालत में घनश्याम कान्स्टेबल ने वास्ते मेकेनिकल परीक्षण उसके समक्ष पेश किया। जिसकी सील उक्त कॉन्स्टेबल के सामने खोलकर मुताबिक तहरीर मेकेनिकल परीक्षण किया गया। रिपोर्ट निम्न प्रकार है। मार्क ए–1 देशी पिस्टल 7.65 एम एम लोकल मेटल का बना हुआ था। जिस पर आड़ी धारी की डिजाईन बनी हुई थी। पिस्टल पर ब्लेक पेन्ट किया हुआ था। वक्त परीक्षण देशी पिस्टल के सभी पार्टस सही कार्यरत थे। देशी पिस्टल फायर करने योग्य था जो फायर Arms की परिभाषा में आता है। बाद परीक्षण उक्त माल को आर्मोरर आर एल झालावाड़ की सील से सील्ड कर घनश्याम कान्स्टेबल को मय रिपोर्ट के सुपुर्द कर वापस थाना खानपुर भिजवाया गया। उसकी मेकेनिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी–7 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व सी से डी उसकी रिपोर्ट है तथा एक्स स्थान पर तीन जगह उसकी नमूना सील अंकित है।

17. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया कि जब्ती किस दिनांक की थी उसे नहीं पता। जब्ती के गवाह के बारे में भी उसे नहीं पता। जब्तीकर्ता कौन था वह नहीं बता सकता। उसके पास जब्तशुदा माल दिनांक 12–12–2014 को आया था समय उसे याद नहीं है। यह बात सही है कि जिस हथियार का मेकेनिकल परीक्षण किया जाता है उसका इन्द्राज संबंधित रजिस्टर में किया जाता है लेकिन उससे संबंधित दस्तावेज इस पत्रावली में प्रस्तुत नहीं है। यह कहना सही है कि आर्टिकल के उपर प्रकरण संख्या का अंकन नहीं था। एक महीने में उसके पास पांच–छह आर्टिकल वास्ते मेकेनिकल परीक्षण हेतु आ जाते है। आर्टिकल के उपर वे कुछ नहीं लिखते है। नाप तौल वगैरा भी नहीं किया जाता है। आर्टिकल के स्लाईड के उपर जो आड़ी लाईनें थी जिनका नाप नहीं किया गया था। एक आर्टिकल का मेकेनिकल परीक्षण करने में करीब एक घण्टा का समय लग जाता है। जो पुलिस वाले उनके पास परीक्षण के लिए आर्टिकल लेकर आते हैं उनको तहरीर पर रिसिप्ट देते है। उसने उक्त आर्टिकल दिनांक 12–12–2014 को रिसीव किया था। बाद परीक्षण के आर्टिकल को आर्मोरर की सील से सील्ड किया जाता है। इस कार्यवाही में कोई गवाह नहीं बनाया जाता है। सील एक ही जैसी रहती है। वापस आर्टिकल कितने बजे लौटा दिया था उसे समय याद नहीं रहा। उक्त आर्टिकल एक ही मैटल का बना हुआ था तथा पिस्टल ग्रिप

प्लास्टिक की बनी हुई थी। यह बात सही है कि जब उसने उक्त आर्टिकल को सील्ड चिट किया तब उसमें प्लास्टिक की ग्रिप के बारे में नहीं लिखा था।

18. गवाह पी.ड.05 घनश्याम ने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वह दिनांक 12–12–2014 को थाना खानपुर में कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन श्री रमेशचंद हेड कानि द्वारा मुकदमा नं 470/2014 धारा 3/25 Arms Act में जब्तशुदा एक पिस्टल सील्डशुदा हालत में मैकेनिकल मुआयना हेतु उसे सुपुर्द की जिसे लेकर वह पुलिस लाईन झालावाड़ पहुंचा जहां उक्त पिस्टल को उसी हालात में मैकेनिकल परीक्षण हेतु आर्मोरर श्री जसवंत सिंह को सुपुर्द की जिन्होंने बाद परीक्षण स्वयं की सील से सील्ड कर मैकेनिक मुआयना रिपोर्ट उसे सुपुर्द की जिसे लाकर उसने दूसरे दिन मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द की।

19. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया कि उक्त पिस्टल को जब्त करते समय फर्द जब्ती में किसे गवाह बनाया गया था उसे जानकारी नहीं है। यह कहना सही है कि उसने उक्त आर्टिकल को खोलकर नहीं देखा। उक्त माल को किस दिनांक को जब्त किया गया था यह भी वह नहीं कह सकता। आर्मोरर के पास वह कितने बजे पहुंचा उसे समय आज याद नहीं रहा। यह कहना गलत है कि आर्मोरर द्वारा दिया गया दस्तावेज वह थाने पर नहीं लेकर आया हो। उसने आर्मोरर के पास आर्टिकल देने की एवज में कोई हस्ताक्षर नहीं किये। वह उस दिन थाने से झालावाड बस से गया था। वह थाने से करीब दस ग्यारह बजे निकला था। वह जब आर्टिकल को लेकर गया उस समय उस पर कौनसी लगी थी उसे जानकारी नहीं है। उसके सामने आर्मोरर ने माल को खोलकर देखा था व वापस पैक करके उनकी सील लगाकर उसे वापस दे दी। जो आर्मोरर ने पत्र दिया था उस पर समय का अंकन नहीं है। दिनांक 12–12–2014 थी। आर्टिकल कौनसी धातु का था उसे जानकारी नहीं है। उसने आर्टिकल को खोलकर नहीं देखा।

20. गवाह पी.ड.06 मोहनलाल ने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वह दिनांक 31–10–2014 को जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय झालावाड की न्याय शाखा में लिपिक ग्रेड–। के पद पर कार्यरत था। उस दिन थाना खानपुर के प्रकरण संख्या 470/2014 धारा 3/25 Arms Act की अनुसंधान पत्रावली मय माल जब्तशुदा पिस्टल के अभियोजन स्वीकृति श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट श्री विष्णु चरण मलिक जी के समक्ष मय अनुसंधान अधिकारी व आर्मरर के पेश हुए। पत्रावली जब्तशुदा हथियार आर्मरर की रिपोर्ट सहायक निदेशक अभियोजन की राय का अवलोकन करने के बाद न्यायिक मष्तिक का प्रयोग करते हुए अभियुक्त हेमराज पुत्र प्रभुलाल जाति गुर्जर के विरूद्ध अभियोजन चलाने हेतु धारा 39 Arms Act के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी की गई थी जो प्रदर्श पी–8 है जिस पर ए से बी स्थान पर जिला मजिस्ट्रेट श्री विष्णुचरण मलिक के हस्ताक्षर है। जिनको वह उनके अधीनस्थ कार्य करने से पहचानता है।

21. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया कि अभियोजन स्वीकृति लेने के लिए आई ओ पूनमचंद ओर आर्मरर आए थे। दिनांक 31–12–2014 को आए थे। यह कहना सही है कि हथियार साथ में लाए थे। उसने हथियार नहीं देखा। हथियार

जिला मजिस्ट्रेट साहब ने देखा था। जिला मजिस्ट्रेट ने हथियार खोल कर देखा या नहीं देखा उसे जानकारी नहीं है। आई ओ लिफाफा लेकर आया था। कपडे की थैली का सिल्ड लिफाफा था। लिफाफे पर कितनी सीले लगी हुई थी उसे जानकारी नहीं है। आर्मरर के सामने खोला था। उसने हथियार वाले लिफाफे को हाथ में लेकर नहीं देखा। यह कहना सही है कि जिस समय आई ओ हथियार लेकर आया उस समय वह वहां मौजूद नहीं था। यह कहना सही है कि उस लिफाफे में क्या था वह नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि वह यह भी नहीं बता सकता कि हथियार किस मुलजिम से जब्त किया है। यह कहना सही है कि वह लेटर जारी करने का डिस्पैच रजिस्टर लेकर नही आया है। उसने लेटर पर क्रमांक डिस्पेच रजिस्टर से देखकर डाले थे। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–8 पर उसके कोई हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना सही है कि उसे प्रदर्श पी–8 की तहरीर जिला मजिस्ट्रेट ने उसे अधिकार नहीं दिया है। उसे किसी प्रकार से कोई प्रदर्श पी–8 के संबंध मे अधिकृत नहीं किया है।

22. पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से अभियोजन पक्ष पर यह साबित करने का भार था कि दिनांक 07–12–2014 को समय 02.15 पी.एम. पर मौजा आम रोड मेगा हाईवे, आर.के. ईट भट्टा उद्योग व खलखली माताजी के बीच पुलिया के पास, खानपुर में श्री गोपाल लाल, ए.एस.आई., पुलिस थाना खानपुर ने मय जाप्ते के दौराने गश्त अभियुक्त हेमराज के चेतन्य आधिपत्य से एक अवैध देशी पिस्टल 7.65 एमएम बरामद की, जिसे अपने कब्जे में रखने का अभियुक्त के पास कोई वैध अनुज्ञा पत्र/लाईसेंस नहीं था।

23. पत्रावली पर आयी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया जाए तो अभियुक्त हेमराज पर धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अपराध का आरोप है, जिसके संबंध में अभियोजन कहानी के अनुसार गवाह पी.ड.01 गोपाल लाल, जो हस्तगत प्रकरण में शिकायतकर्ता होकर जप्तीकर्ता भी है, ने फर्द जप्ती व चैकिंग एक अवैध देशी पिस्तोल प्रदर्श पी–1 की ताईद करते हुए दिनांक 07–12–2014 को स्वयं का थाना खानपुर पर ए.एस.आई. के पद पर तैनात होकर उस दिन मय जाप्ता अपना, सीताराम कानि., गौतमचन्द कानि. वास्ते गश्त एवं अवैध हथियार की चैंकिंग हेतु मय प्राइवेट जीप के थाने से 08.30 ए.एम. पर रवाना होकर गश्त करते हुए सरकारी अस्पताल चांदखेडी मंदिर पहुंचने वापस रवाना होकर न्यू बस स्टेण्ड अटरू तिराहे पर पहुंचने व समय 01.00 पी.एम. पर गश्त करता हुआ बारां रोड तलाई हनुमान जी के मंदिर के सामने आम रोड पहुंचने व समय 02.00 पी.एम. पर उसे जरिये मुखबिर सूचना मिलने कि खलबली माता व आर के ईट भट्टा के बीच पुलिया पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके पास कोई अवैध वस्तु या हथियार हो सकता है, उक्त सूचना पर रवाना होकर मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचने, जहां एक व्यक्ति धोती कमीज पहने हुये पुलिया पर मिलने, जिसका पुलिस जाप्ता को देखकर भागने पर पुलिस जाप्ता की मदद से रोककर, संदेह होने से उसकी तलाशी हेतु स्वतंत्र गवाह तलाश करने पर कानूनी प्रक्रिया में नहीं पड़ने की वजह से कोई गवाह बनने के लिए तैयार नहीं होने पर जाप्ता में से गौतमचन्द कानि. व सीताराम कानि. को गवाह मामूरकर पकड़े गये व्यक्ति का नाम–पता पूछने पर अभियुक्त के द्वारा अपना नाम हेमराज पुत्र प्रभुलाल होना बताने, जिसको चैक करने पर उसकी कमीज के नीचे और धोती के नीचे एक पिस्टल देशी व कारतूस मिलने, जिसकी लंबाई 6 इंच और बट

की लंबाई 2 इंच होने, बरंग काला होने, उक्त व्यक्ति से अपने कब्जे में उक्त देशी पिस्टल रखने बाबत् अनुज्ञा पत्र चाहा तो नहीं होना बताने, जिसका कार्य 3/25 आर्म्स एक्ट में दण्डनीय अपराध होने से उसके पास मिली देशी पिस्टल को सील्ड मुहर कर चिट चस्पा करने, मुलजिम को जर्ये फर्द मौके पर ही गिरफ्तार कर बाद कार्यवाही वापसी थाने पर माल को जमा मालखाना करवाने, फर्द चैकिंग एवं जप्ती प्रदर्श पी–1 व फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी–2 है, जिस पर ए से बी उसके, सी से डी मुलजिम के हस्ताक्षर होने, फर्द नक्शा मौका घटना स्थल प्रदर्श पी–3 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर होने की साक्ष्य अपने मुख्य परीक्षण में दी है, जिसके संबंध में जाप्ते में शामिल जप्ती गवाह पी.ड.03 गौतमचन्द व पी.ड.07 सीताराम ने भी फर्द चैकिंग एवं जप्ती प्रदर्श पी–1 की हूबहू ताईद की है, उनके द्वारा जप्ती अधिकारी द्वारा अभियुक्त से उक्त जप्तशुदा पिस्टल उसकी धोती व कमीज के नीचे व बीच जगह से मिलने की ताईद की है। जिससे उनके द्वारा मुख्य परीक्षण के दौरान दी गई साक्ष्य की बखूबी पुष्टि होती है। गवाह पी.ड.03 गौतम, पी.ड.07 सीताराम व पी.ड.02 पूनमचन्द ने फर्द नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 पर अपने हस्ताक्षरों की पुष्टि की है तथा उक्त गवाहान से की गई प्रतिपरीक्षा में गवाहान व परिवादी अडिग रहे हैं। गवाहान व परिवादी से की गई प्रतिपरीक्षा का ध्यानपूर्वक परिशीलन से अभियुक्त के कब्जे से एक देशी पिस्टल जप्त किये जाने का कोई खण्डन होना दर्शित नहीं होता है, न ही अभिलेख पर ऐसा कोई आधार है, जिससे उक्त साक्षीगण की साक्ष्य का अविश्वास किया जा सके।

24. जहां तक दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क रहा है कि प्रकरण में सभी गवाहान की साक्ष्य से जप्ती की कार्यवाही को लेकर विरोधाभास है तथा इस संबंध में न्यायालय का मत है कि गवाहान के बयान न्यायालय के समक्ष घटना घटित होने के करीब 9–10 साल पश्चात लेखबद्ध हुए हैं, ऐसे में गवाहान से घटना के वृतांत को हूबहू बताये जाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। गवाहान के बयानों में छोटी–मोटी बातों में विरोधाभास आना स्वाभाविक है, परंतु केवल इस आधार पर पत्रावली पर जो अन्य ठोस प्रकृति की साक्ष्य उपलब्ध है, उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। ऐसे में अधिवक्ता अभियुक्त का उक्त तर्क माने जाने योग्य नहीं है।

25. इसके अतिरिक्त गवाह पी.ड.02 पूनमचन्द, जो कि हस्तगत प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी है, ने भी अपने सशपथ बयानों में दौराने अनुसंधान फर्द चैकिंग एवं जप्ती प्रदर्श पी–1 पर पृष्ठांकन सी से डी है, जिस पर ई से एफ थानाधिकारी लोकेन्द्र पालीवाल के हस्ताक्षर होने, दौराने अनुसंधान बयान फरियादी गोपाललाल एएसआई, गवाह गौतमचन्द कानि., सीताराम कानि., घनश्याम के उनके कहे अनुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली कर फरियादी की मौजूदगी में घटना का मौका मुआयना करने, फर्द नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर होने, जप्तशुदा हथियार का मैकेनिकल मुआयना करवाकर रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली करने, मुलजिम हेमराज के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट झालावाड से अभियोजन स्वीकृती प्रदर्श पी–8 प्राप्त कर शामिल पत्रावली करने, मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–5ए, रोजनामचा रपट की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–6 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर होना व अभियुक्त हेमराज के संबंध में अभियोजन स्वीकृती श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट झालावाड से प्राप्त कर शामिल पत्रावली करने तथा बाद अनुसंधान मुलजिम हेमराज

के विरूद्ध अंतर्गत धारा 3/25 Arms Act में जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर चार्जशीट कताकर माननीय न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया है।

26. इसके अतिरिक्त बहस के दौरान अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क रहा है कि पत्रावली में कोई स्वतंत्र साक्षी घटनास्थल पर मौजूद नहीं होने से फर्द जप्ती प्रदर्श पी–1 दूषित हो जाती है। इस संबंध में न्यायालय का ध्यान **न्यायिक दृष्टांत (2013) 14 SCC 434 RO–HITSH KUMAR VS STATE OF HARIYANA** के मामले की ओर आकृष्ट होता है, जिसमें माननीय सर्वोच्च नयायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि यदि जप्ती अन्य सभी प्रकार से विश्वसनीय है तो उस पर मात्र स्वतंत्र गवाह की संपुष्टि के अभाव के आधार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। फर्द जप्ती के संबंध में अभिलेख पर गवाह पी.ड.03 गौतमचन्द व गवाह पी.ड.07 सीताराम की सुदृढ़ प्रकृति की साक्ष्य विद्यमान है, ऐसे में अधिवक्ता अभियुक्त का उक्त तर्क माने जाने योग्य नहीं है।

27. जहां तक कि बहस के दौरान अधिवक्ता अभियुक्त का कथन रहा है कि प्रकरण के समस्त गवाहान पुलिसकर्मी है, कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है, जिससे घटना संदेहास्पद हो जाती है तो इस संबंध में न्यायालय का ध्यान **माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक विनिश्चय AIR 2012 SC 1292 GOVIND RAJU/GOVINDA VS STATE BY SRI RAMPURAN POLICE STATION AND ANOTHER** की ओर आकृष्ट होता है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह न्यायिक मत प्रतिपादित किया है कि पुलिस विभाग के गवाहान की साक्ष्य का केवल इस आधार पर कि वह विभागीय कार्मिक है और प्रकरण की सफलता में उसका हित निहित है, के आधार पर ही खारिज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा **न्यायिक विनिश्चय (2007) 7 SCC 625 GIRIJA PRASAD (DEAD) BY THE LRS. VS STATE OF M.P.** के मामले में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने सारतः यह मत प्रतिपादित किया है कि ऐसी कोई विधि नहीं है, जो यह कहती हो कि स्वतंत्र गवाहों की साक्ष्य से संपुष्टि किये बिना किसी पुलिस या विभागीय गवाह की साक्ष्य विधि मान्य नहीं होती है। अन्य व्यक्तियों की तरह पुलिस के संदर्भ में भी यह उप–धारणा की जायेगी कि साक्ष्य को बिना किसी सुदृढ़ व श्रेष्ठ कारण से नकारना अच्छी न्यायिक सोच नहीं मानी जा सकती, जब तक ऐसी साक्ष्य को नहीं मानी जाने का कोई ठोस कारण पत्रावली पर मौजूद हो। इस संबंध में हम प्रकरण के तथ्यों, परिस्थियों और पत्रावली पर आई साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें तो गवाहान ने घटनाक्रम की स्पष्टता और एक मत स्वर में पुष्टि की है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा दिया गया तर्क भी उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत व न्यायिक विनिश्चय की रोशनी में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

28. उक्त आरोप के संबंध में गवाह पी.ड.04 यशवंत सिंह, जो कि प्रकरण में आर्मोरर है, उसके द्वारा अपने बयानों में दिनांक 12–12–2014 को पुलिस लाईन झालावाड़ में आर्मोरर के पद पर कार्यरत होकर उस दिन थाना खानपुर के मुकदमा नंबर 470/2014 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में जप्तशुदा एक देशी देशी पिस्टल 07.65 एमएम पुलिस थाना खानपुर की सील से सील्ड हालत में घनश्याम कानि. द्वारा वास्ते मैकेनिकल परीक्षण हेतु उसके समक्ष पेश करने, जिसको खोलकर मैकेनिकल परीक्षण करने, जिसमें मार्क ए01 देशी पिस्टल 7.65 एमएम लोकर मेटल का बना होने, जिस पर आडी धारी की डिजाईन बनी होने, पिस्टल पर

ब्लेक पेंट होने, वक्त परीक्षण पिस्टल के सभी पार्टस सही कार्यरत होने, देशी पिस्टल फायर करने योग्य होने, जो फायर आर्म की परिभाषा में आने की साक्ष्य दी है, जिसके संबंध में पत्रावली पर आर्मोरर रिपोर्ट प्रदर्श पी–7 के अवलोकन से सी से डी स्थान पर उसकी रिपोर्ट अंकित है, जिसके अवलोकन से मार्क ए देशी पिस्टल 7.65 एमएम लो लोकर मेटल का बना होकर स्लाईड पिस्टल पर आडी धारी डिजाईन बनी होने व पिस्टल पर ब्लैक पेंट होने व ब्लैक कलर की स्टोन साईड दो–दो स्क्रू के साथ फीट होना अंकित है। जिससे उक्त गवाह के कथनों की ताईद होती है। फर्द जप्ती प्रदर्श पी–1 में भी वर्णित पिस्टल का हुलिया आर्मोरर की रिपोर्ट प्रदर्श पी–7 से मेल खाता है। इसके अतिरिक्त आर्मोरर को उक्त पिस्टल का मैकेनिकल मुआयने हेतु भेजने के संबंध में नकल रपट संख्या 672 आम दिनांक 12–02–2014 मौजूद है जिसके अवलोकन से घनश्याम कानि. को जप्तशुदा पिस्टल के साथ अर्मोरर को भेज गया जिसके संबंध में गवाह पी.ड.05 घनश्याम ने दिनांक 12–12–2014 को थाना खानपुर पर कानि. के पद पर तैनात होकर उस दिन श्री रमेशचंद हेड कानि. द्वारा मु.न. 470/2014 अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में जप्तशुदा एक पिस्टल सील्डशुदा हालात में मैकेनिकल मुआयना कराने हेतु अर्मोरर श्री जसवंत सिंह को सुपुर्द करने जिसका बाद परीक्षण स्वयं की सील से सील्ड कर मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट उसे सुपुर्द करने जिसे लाकर दूसरे दिन मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द करने की साक्ष्य अपनी मुख्य परीक्षा में दी है। इस गवाह की प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई तथ्य उभरकर प्रकट नहीं हुआ है कि उसके द्वारा सील्डशुदा पिस्टल के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी कर पिस्टल को बदला गया हो। बाद आर्मोरर परीक्षण उक्त जप्तशुदा पिस्टल को मालखाने में जमा करने हेतु मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–5(A) पत्रावली पर मौजूद है। जिस पर ए से बी अनुसंधान अधिकारी ने अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित करवाया है। इस गवाह की प्रतिपरीक्षा में भी ऐसा कोई तथ्य उभरकर प्राप्त नहीं हुआ जो कि उसके द्वारा मालखाने में जमा पिस्टल के संबंध में संदेह उत्पन्न करता हो।

29. इसके अतिरिक्त पत्रावली पर गवाह पी.ड.06 मोहनलाल के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट से अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श पी.8 प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई है, जिससे भी अभियोजन कहानी का बल मिलता है।

30. जहां तक बहस के दौरान अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क रहा है कि अभियुक्त निर्दोष है, उसे झूंठा फंसाया गया है तो इस संबंध में न्यायालय का विनम्र मत है कि मुकदमा झूंठा होने के संबंध में पत्रावली पर अभियुक्त के द्वारा दौराने परीक्षण अंतर्गत धारा 313 सीआर.पी.सी. में कोई विशिष्ट कथन दर्ज नहीं करवाया गया है, न ही उनकी तरफ से साक्षी को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया गया है और वक्त घटना घटनास्थल पर अभियुक्त मौजूद न हो, इस संबंध में भी कोई कथन अंकित नहीं करवाये हैं, जिससे अभियुक्त को झूंठा फंसाया जाना साबित होता हो। ऐसे में अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क माने जाने योग्य नहीं है।

31. धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत प्रश्नगत आरोप विचारण के समय बरामदगी, अभियुक्त के पास अनुज्ञा पत्र है या नहीं और अभियोजन स्वीकृति के तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं। हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा अपनी साक्ष्य से अभियुक्त के कब्जे से एक पिस्टल की बरामदगी को प्रमाणित किया गया है। तत्पश्चात माल को सीलचिट हालत में घनश्याम कानि. द्वारा आर्मोरर के पास परीक्षण हेतु भिजवाये जाने पर आर्मोरर द्वारा उक्त जप्तशुदा

पिस्टल का मैकेनिकल परीक्षण कर पिस्टल के सभी पार्टस कार्यरत होकर अग्निशस्त्र की तारीफ में होना जाहिर किया है। अभियोजन स्वीकृति भी नियमानुसार निर्गमित करवाई गई व अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र पेश किया गया। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा उक्त हथियार को अपने पास रखने बाबत् कोई अनुज्ञा पत्र या स्वीकृति पेश नहीं की गई है, ऐसे में अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्ष्य पेश हुई है, उससे अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोप की कड़ीबद्ध साक्ष्य के रूप में पुष्टि होती है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य में ऐसा लेशमात्र भी विरोधाभास नहीं है, जिससे संपूर्ण अभियोजन कहानी संदिग्ध होती हो। ऐसी स्थिति में संपूर्ण साक्ष्य संपुष्टिकारक है एवं अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने हेतु पर्याप्त है। अतः अभियुक्त हेमराज को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम में दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

32. अतः अभियुक्त हेमराज आत्मज प्रभुलाल, उम्र 48 वर्ष, निवासी– कुन्जेड, पुलिस थाना खानपुर, जिला झालावाड (राज.) को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(अंजू कुमारी)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.)

33. **<u>सजा के प्रश्न परः–</u>** सजा के प्रश्न पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का कथन रहा कि अभियुक्त का प्रथम अपराध है। वर्ष 2015 से अन्वीक्षा भुगत रहा है। उसके विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि की कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः परिवीक्षा का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

34. इसके विपरीत विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी का तर्क है कि अभियुक्त के द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का है। हथियार लेकर घूमना अपराध है, समाज में भय व्याप्त करता है। इसलिए परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं देकर अभियुक्त को अधिक दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

35. सजा के बिंदू पर उभय पक्षकारान के तर्कों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आता है कि अभियुक्त की दोषसिद्धि आयुध अधिनियम के तहत अपराध कारित करने के मामले में हुई है। अवैध रूप से आग्नेयास्त्र लेकर घूमना गंभीर मामला है। किसी भी सामाजिक व्यवस्था को समुचित रूप से चलाने के लिए यह आवश्यक है कि अपराध करने वाले व्यक्तियों को उनके अपराध के अनुपात में समुचित रूप से दण्डित किया जावे। यदि किसी अपराधी द्वारा कोई अपराध बिना साशय के किया जाता है तो दण्ड की मात्रा कम हो सकती है, परंतु कोई अपराध अपराधी द्वारा समाज के विपरीत किया जावे एवं अपराध की प्रकृति गंभीर हो तो ऐसी स्थिति में ऐसे अपराधी को कड़ा दण्ड नहीं दिया जाता है तो इससे समाज में अव्यवस्था बढ़ने की संभवना से इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में न्यायालय के मत में अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

दण्डादेश

36. अत: अभियुक्त हेमराज आत्मज प्रभुलाल, उम्र 48 वर्ष, निवासी– कुन्जेड, पुलिस थाना खानपुर, जिला झालावाड (राज.) को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में दोषसिद्ध घोषित किये जाने के फलस्वरूप निम्न प्रकार से दण्डित किया जाता हैः–

क्र.सं.	कारावास	अर्थदण्ड	अदम अदायगी अर्थदण्ड
1	02 वर्ष का साधारण कारावास	3,000/- रूपये (अक्षरे तीन हजार रूपये)	05 माह का अतिरिक्त कारावास

37. अभियुक्त का सजा वारण्ट नियमानुसार बनाया जावे।

38. अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत मूल सजा में से मुजरा की जावे।

39. प्रकरण में जप्तशुदा माल देशी पिस्टल बाद निकलने मियाद अपील जिला शस्त्रागार में जमा रहे।

40. निर्णय की एक प्रति नियमानुसार अभियुक्त को अविलंब निशुल्क उपलब्ध कराई जावे।

41. अभियुक्त के पूर्व के हाजरी बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

42. अभियुक्त को यह भी आदेश दिया जाता है कि वह अपील होने की सूरत में माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत 10,000/– रुपये की जमानत व इसी राशि का मुचलका न्यायालय के समक्ष पेश कर तस्दीक करावे, जो कि बाद कराने तस्दीक छः माह तक प्रवर्तन में रहेंगे।

(अंजू कुमारी)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.)

43. निर्णय आज दिनांक 11–03–2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(अंजू कुमारी)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.)

<u>प्रमाण पत्र</u>

निर्णय/आदेश में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

MANSI SONI
Steno Gr.III
"Authenticate Document"
Digitally signed by MANSI SONI
Date: 2026.03.12 10:24:54 +0530

नोट:– यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।